राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–9(7)राज–6/2010/38

जयपुर दिनांकः– 10.11.2010

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) (घ) सपठित धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अर्न्तगत आबादी विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्य एवं प्रदत्त शक्तियों का राज्य के समस्त जिलो में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर्स जिनको ' प्रशासन गांवो के संग अभियान–2010 के लिए नियुक्त किया गया है, द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 10.11.2010 से दिनांक 31.12.2010 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव , माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, समस्त माननीय मंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक इन्फ्रा।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
11. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दि0 10.11.2010 में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
13. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. अतिरिक्त निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर (वित्त एवं लेखा)।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव